## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 1027–दो/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 14–2–2013 एवं 28–2–13 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 17/अ–27/10–11.

1 रामकुमार आयु 37 साल तनय श्री जानकीशरण जाति ब्राहम्ण
2 श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व0 श्री जानकीशरण
निवासीगण ग्राम जौरीताल तहसील सेवढ़ा जिला दतिया म0 प्र0

.....आवेदक

**विरूद्ध**

1 माधुरी पत्नी स्व0 श्री लालजी राम
बुधोलिया जाति ब्राहम्ण
2 दिव्या नाबालिग पुत्री लालजीराम
बुधौलिया संरक्षक मॉ माधुरी पत्नी लालजीराम
जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम जौरीताल तहसील
सेवढ़ा जिला दतिया म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8.12.15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1027–दो/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 17/अ–27/10–11 में पारित आदेश दिनांक 14–2–2013 एवं 28–2–13 के विरूद्ध संस्थित हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । जानकीशरण एवं कमलादेवी के तीन पुत्र थे, रामकुमार, लालजी एवं श्री राम । लालजी की मृत्यु उनके पिता जानकीशरण के जीवित रहते हुई । लालजी की पत्नी माधुरी एवं पुत्री दिव्या हैं । श्री राम ला–औलाद हैं । विवाद पैतृक सम्पत्ती के विभाजन एवं अधिकार को लेकर है, जिसको लेकर विभिन्न न्यायालयों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया चल चुकी है । इस राजस्व मण्डल न्यायालय के समक्ष यह निगरानी तहसीलदार के जिस प्रकरण में पारित आदेशों के विरूद्ध आई है, वह प्रकरण तहसीलदार के समक्ष माधुरी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा आवेदन के आधार पर दिनांक 18–4–11 को दर्ज हुआ था। वहॉ प्रचलित कार्यवाही के दौरान दिनांक 26–9–11 को इस न्यायालय के निगरानीकर्ता जानकीशरण एवं रामकुमार ने एक आपत्ती आवेदन लगाया जिसमें उन्होनें लिखा कि (1) वाद विषय से संबंधित एक प्रकरण कमांक निगरानी 1296/09 राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जिसमें राजस्व मण्डल ने अन्तरण पर रोक लगाई है, तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 17/अ–27/10–11. तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 17/अ–27/10–11. (2) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सेवढ़ा के समक्ष माधुरी के आवेदन पर दायर दीवानी प्रकरण कमांक 16ए/07 जो बाद में प्रकरण कमांक 5ए/09 था, दिनांक 17–3–10 के आदेश से खारिज हो गया है, तथा (3) माधुरी ने बटवारा आवेदन देते समय अपनी सास कमला का नाम छुपाया है, एवं इन आधारों पर तहसीलदार से उनका प्रकरण निरस्त करने का निवेदन किया । तदुपरान्त तहसील न्यायालय का यह प्रकरण दिनांक 15–1–13 को आवेदिका माधुरी की अनुपस्थिति अभिलिखित करते हुए उनकी रूचि नहीं होना मानकर खारिज कर दिया गया, एवं अगली पेशी दिनांक 14–2–13 पर पारित आदेश द्वारा माधुरी की ओर से धारा 35 में प्रस्तुत आवेदन पर पुनः प्रकिया में ले लिया गया । अगली पेशी दिनांक 28–2–13 को प्रकरण में फर्द पेश होना और उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुना जाना लिखा है । साथ ही यह भी लिखा है कि चूँकि (1) प्रकरण में व्यवहार न्यायालय से बंटवारे पर कोई रोक नहीं है, (2) राजस्व मण्डल से भी बंटवारे पर कोई रोक नहीं है, केवल अन्तरण पर रोक है, तथा (3) अपील लंबित होने से वर्तमान भूमिस्वामी प्रभावित नहीं होते, एवं इन

आधारों पर यह लिखते हुए कि अगर अनावेदक वरिष्ठ न्यायालय से बंटवारे पर रोक संबंधी कोई आदेश प्रस्तुत करते हैं तो प्रकरण रोका जा सकता है अन्यथा बंटवारा किया जाना आवेदक का वैधानिक अधिकार है, प्रकरण आगामी पेशी पर कार्यवाही हेतु नियत किया गया है।

3/ मैने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने । उन्होंने प्रकरण में विभिन्न न्यायालयों में चले वाद इतिहास की पुनरावृत्ति की एवं अपने अपने पक्ष में निर्णय पारित किए जाने हेतु निवेदन किया । इन सभी बिन्दुओं को इस आदेश के पारित किए जाने में विचार में लिया जा रहा है ।

4/ प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में मैने प्रकरण के अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया । इस आधार पर इस न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचार योग्य बनते हैं :–

(1) क्या तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–2–13 को प्रकरण को पुर्नस्थापित किया जाना ठीक था?

मेरे मत में, चूँकि पूर्व पेशी दिनांक 15–1–13 प्रकरण आवेदिका की अनुपस्थिति के आधार पर खारिज किया गया था, अतः न्यायहित में पक्षकारों को सुनने के उपरान्त विचार एवं विवेचना के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुर्नस्थापित करने में तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की ।

(2) निगराकारगण के आवेदन दिनांक 28–2–13 में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–2–13 को यह लिखा गया है कि चूँकि (1) प्रकरण में व्यवहार न्यायालय से बंटवारे पर कोई रोक नहीं है, (2) राजस्व मण्डल से भी बंटवारे पर कोई रोक नहीं है, केवल अन्तरण पर रोक है, तथा (3) अपील लंबित होने से वर्तमान भूमिस्वामी प्रभावित नहीं होते, एवं इन आधारों पर यह लिखते हुए कि अगर अनावेदक वरिष्ठ न्यायालय से बंटवारे पर रोक संबंधी कोई आदेश प्रस्तुत करते हैं तो प्रकरण रोका जा सकता है अन्यथा बंटवारा किया जाना आवेदक का वैधानिक अधिकार है, प्रकरण आगामी पेशी पर कार्यवाही हेतु नियत किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से तहसीलदार की इन अभियुक्तियों एवं निष्कर्षों में भी किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती ।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं तहसीलदार, सेवढ़ा के प्रकरण कमांक 1027–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 14–2–13 एवं 28–2–13 में कोई त्रुटि अथवा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता एवं उन्हें स्थिर रखता हूँ । वैसे भी चूंकि तहसील न्यायालय का यह प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः तहसीलदार, सेवढ़ा को यह निर्देश देते हुए कि वे उभयपक्ष एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों को विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपने पक्ष समर्थन, साक्ष्य, प्रतिसाक्ष्य आदि का पूर्ण अवसर देते हुए, प्रकरण में स्पष्ट वाद बिन्दु कायम कर उन पर विवेचना एवं निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए, बोलता हुआ आदेश पारित करें। इसी के साथ राजस्व मण्डल का यह निगरानी प्रकरण खारिज कर समाप्त किया जाता है ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
अभिलेख वापस हो ।
पक्षकार सूचित हों ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर